न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

डा0 मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 20/2017

श्रीचन्द पुत्र हनुमान जाति मीणा, निवासी मीणा की ढाणी तन गोविन्ददासपुरा,तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनूं

—अपीलार्थीगण

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं

— रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 23.8.2016
उनवानी प्रकरण सरकार बनाम श्रीचन्द
मु.न. 42/2016, अ. धारा 91 राज. भू. राज. अधि. 1956

उपस्थिति:—

1. श्री राजेश पुनियां, एडवोकेट ———— ——————अपीलान्ट की ओर से ।

2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 16.11.2017

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 28.3.2016 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम श्रीचन्द मु.न. 42/2016 अ.धा. 91 राज. भू. राज. अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतडी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि—जमीन हाल खसरा नंबर 2779 रकबा 2.46 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रडा सरहद राजस्व ग्राम गोविन्ददासपुरा पटवार हल्का त्यौदा पर अपीलान्ट द्वारा 320 वर्गमीटर पर तथाकथित रूप से पुख्ता मकान बनाने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किये जाने एवं 50 रूपये तावान कायम किये जाने का आदेश पारित

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

किया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश कर निवेदन किया कि–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। इस प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। अपीलांट का जमीन हाल खसरा नंबर 2779/1909 किस्म गैर मु. रड़ा वाके ग्राम गोविन्दपुरा के किसी भी भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का अतिक्रमी मानने में कानूनी गलती की है। अपीलांट के मकान पूर्वजों के समय से हैं तथा पीढी दर पीढी रिहायश करते आ रहे हैं। जहां अपीलांट के मकान पहले से बने हुये हैं वह जमीन गैर मु. रड़ा की जमीन न होकर आबादी भूमि है। अपीलांट अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है। अपीलान्ट के पास अन्य रिहायश के लिए कोई जगह नहीं है। अपीलांट के चारों ओर गांव के अन्य लोग भी पुख्ता मकान बनाकर पीढी दर पीढी रिहायश करते आ रहे हैं, जहां विद्युत विभाग ने तथा जलदाय विभाग ने बिजली व पानी के कनेक्शन जारी किये हैं। इस प्रकार अपीलान्ट गांव की आबादी भूमि में होने के कारण इस प्रकरण में धारा 91 एल. आर.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपीलांट के चारों ओर समाज कल्याण भवन, सरकारी पानी की टंकी, सरकारी विद्यालय आदि भी बने हुये हैं। कानून से जहां किस्म जमीन व सदभाविक कब्जे का प्रश्न है वहां पर कानून से सदभाविक रूप से काबिज है उसको सिर्फ रेगुलर कार्यवाही के द्वारा ही बाद साक्ष्य बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में अपीलांट को अतिक्रमी मानने का आधार दर्ज नहीं किया। हल्का पटवारी ने खानन माफिया से मिलकर झूठी रिपोर्ट तैयार की है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.8.20116 खारिज किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अपीलांट का जमीन हाल खसरा नंबर 2779/1909 किस्म गैर मु. रड़ा वाके ग्राम गोविन्दपुरा के किसी भी

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का अतिक्रमी मानने में कानूनी गलती की है। अपीलांट के मकान पूर्वजों के समय से हैं तथा पीढी दर पीढी रिहायश करते आ रहे है। जहां अपीलांट के मकान पहले से बने हुये हैं वह जमीन गैर मु. रड़ा की जमीन न होकर आबादी भूमि है। अपीलांट अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है। अपीलान्ट के पास रिहायश के लिए कोई अन्य जगह नहीं है। अपीलांट के चारों ओर गांव के अन्य लोग भी पुख्ता मकान बनाकर पीढी दर पीढी रिहायश करते आ रहे है जहां विद्युत विभाग ने तथा जलदाय विभाग ने बिजली व पानी के कनेक्शन जारी किये हैं। इस सप्रकार अपीलान्ट गांव की आबादी भूमि में होने के कारण इस प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागू नही होते हैं। अपीलांट के चारों ओर समाज कल्याण भवन, सरकारी पानी की टंकी, सरकारी विद्यालय आदि भी बने हुये हैं। कानून से जहां किस्म जमीन व सदभाविक कब्जे का प्रश्न है वहां पर कानून से सदभाविक रूप से काबिज है उसको सिर्फ रेगुलर कार्यवाही के द्वारा ही बाद साक्ष्य बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय खेतड़ी का निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैराकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रकिया के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। पटवार हल्का त्यौदा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने जमीन हाल खसरा नंबर 2779 रकबा 2.46 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रड़ा सरहद राजस्व ग्राम गोविन्ददासपुरा पर 320 वर्गमीटर भूमि पर अनाधिकृत रूप से पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं अपील में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा वैध माना जा सके। ऐसी स्थित में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये तहसीलदार खेतड़ी द्वारा

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

पारित निर्णय दिनांक 03.11.2016 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 23.08.2016 मु0 नंबर 42/2016 उनवानी सरकार बनाम श्रीचन्द यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बगड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बगड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– डा0 मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 20/2017

श्रीचन्द पुत्र हनुमान जाति मीणा, निवासी मीणा की ढाणी तन गोविन्ददासपुरा,तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनूं

–अपीलार्थीगण

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं

– रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 23.8.2016
उनवानी प्रकरण सरकार बनाम श्रीचन्द
मु.न. 42/2016, अ. धारा 91 राज. भू. राज. अधि. 1956

उपस्थिति:–

1. श्री राजेश पुनियां, एडवोकेट ------ -----------अपीलान्ट की ओर से ।

2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट---------------रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 16.11.2017

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 28.3.2016 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम श्रीचन्द मु.न. 42/2016 अ.धा. 91 राज. भू. राज. अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतडी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि–जमीन हाल खसरा नंबर 2779 रकबा 2.46 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रडा सरहद राजस्व ग्राम गोविन्ददासपुरा पटवार हल्का त्यौदा पर अपीलान्ट द्वारा 320 वर्गमीटर पर तथाकथित रूप से पुख्ता मकान बनाने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किये जाने एवं 50 रूपये तावान कायम किये जाने का आदेश पारित

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू